



f

कोयला मंत्रालय



कोयला खानों की नीलामी की समय-सीमा में संशोधन



बोली लगाने की निर्धारित तिथि 08 जुलाई, 2021 तक
बढ़ाई गई



in

प्रविष्टि तिथि: 22 JUN 2021 4:02PM by PIB Delhi

कोयला मंत्रालय ने आज नीलामी [कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 12वीं किश्त] [खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की दूसरी किश्त] की समय - सीमा में संशोधन के संबंध में एक नोटिस जारी किया।

इस नोटिस में कहा गया है कि दिनांक 25 मार्च, 2021 के निविदा आमंत्रण नोटिस के क्रम में, एमएसटीसी के वेबसाइट पर बोलीदाताओं के पंजीकरण और निविदा दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि और बोली लगाने की निर्धारित तिथि में संशोधन किया गया है। बोली लगाने की निर्धारित तिथि गुरुवार, 08 जुलाई, 2021 तक बढ़ा दी गई है। संशोधित समय-सीमा को एमएसटीसी के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

नोटिस को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :

<http://www.coal.nic.in/sites/default/files/2021-06/22-06-2021.pdf>

एमजी/एएम/आर/सीएस

(रिलीज़ आईडी: 1729497) आगंतुक पटल : 9

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Bengali , Punjabi , Kannada , Malayalam